CIN : U40109RJ2000SGC016486

"प्रभास्मि शशि सूर्ययोः"

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(कार्मिक विभाग)
फोन व फैक्स नं. : 0141.2747036
Website : www.jaipurdiscom.com
Email : cpo@jvvnl.in; cpojvvnl@yahoo.com

क्रमांकः जेपीडी / कार्मिक / मु.का.अ. / प्रे. 93 जयपुर, दिनांकः 15/1/18

परिपत्र

जयपुर विद्युत वितरण निगम के आदेश क्रमांक जेपीडी / मुलेअ(आ.अं.) / ले.(नियम) / प. 12 / प्रे. 2579 दिनांक 5.9.2017 द्वारा राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17(3) / कार्मिक / ख / –1 / 17 दिनांक 26.7.2017 को ग्रहण करते हुए यह निर्णय लिया है कि निगम में सेवारत समस्त अराजपत्रित मत्रांलयिक / तकनीकी कर्मचारी जिनकी आयु 50 वर्ष एवं इससे अधिक है, की स्वास्थ्य संबधी कुछ विशिष्ट परीक्षण / जांच अनिवार्य रुप से करवाई जानी है, जो कि निम्न तालिका में उल्लेखित है:–

Sr. No.	Investigations under Annual Health Check-up	
1.	Haemogram	(i) CBC (ii) DLC (iii) PBF
2.	Urine Examination	(i) Colour (ii) Albumin (iii) Sugar (iv) Microscopic Examination
3.	Blood Sugar	(i) Fasting (ii) Post-prandial (if needed)
4.	Lipid Profil	(i) Total Cholesterol (ii) HDL Cholesterol (iii) LDL Cholesterol (iv) VLDL Cholesterol (v) Triglycerides
5.	Liver Function Tests	(i) S. Bilirubin (Total) (ii) S. Bilirubin (Direct) (iii) SGOT (iv) SGPT
6.	Kidney Function Tests	(i) Blood Urea (ii) S. Creatinine (iii) S. Uric Acid
7.	Cardiac Profile	(i) S LDH (ii) CK-MB (iii) SGOT For Men : PSA (Symptomatic/optional)
8.	X-Ray-Chest(optional)	
9.	ECG	
10.	USG Abdomen	
11.	Gynaecological Health Check up	(i) Pelvic Examination (ii) Local Examination (iii) Per Vaginum (P/V) (iv) Per Speculum (v) Surgical Examination (vi) Breast Examination
12.	Eye Examination (optional)	(i) Distant Vision (ii) Vision with Glasses (iii) Colour Vision (iv) Tonometry (if needed) (v) Fundus Examination
13.	ENT (optional)	(i) Oral Cavity (ii) Nose (iii) Throat (iv) Larynx (v) Hearing Check up
14.	Hbs Ag	

Summary of Medical Report:

Sr. No.	Investigations under Annual Health Check-up	
1.	Overall health of official	
2.	Any other remarks based on the health medical check-up of the official	
3.	Health Profile Grading	

Date:

Signature of Medical Authority
Name of Medical Officer:
Designation:

नीचे दर्शाई गई तालिका के अनुसार अराजपत्रित मंत्रालयिक/तकनीकी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण 3 वर्ष में एक बार चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों अथवा राजकीय जिला स्तरीय चिकित्सालयों द्वारा परीक्षण करवाकर चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अराजपत्रित कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन के साथ प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है:-

क. सं.	01.04.2017 को आयु	वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन वर्ष जिसके साथ स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है	अनिवार्य स्वास्थ्य जांच का वर्ष
1	वे कर्मचारी जिनकी आयु 56 से 59 वर्ष की है।	2017—18	2017—18
2	वे कर्मचारी जिनकी आयु 53 से 56 वर्ष की है।	2018—19	2018—19
3	वे कर्मचारी जिनकी आयु 50 से 53 वर्ष की है।	2019—20	2019—20

अन्य अनुदेश:-

1. उक्त चिकित्सा परीक्षण, मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों, राजकीय चिकित्सालयों, सेटेलाइट अस्पतालों द्वारा निशुल्क होगी।
2. संबंधित कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य जांच करवाने के पश्चात किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी को जांच रिपोर्ट दिखाई जायेगी। स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा अतिरिक्त जांच कराने की सलाह दी जाती है तो ऐसी जांचों का पुनर्भरण चिकित्सा परिचर्या नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अनुज्ञेय होगा।
3. इन चिकित्सकीय जांचों हेतु किसी प्रकार का पृथक से विशेष अवकाश व यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. परीक्षण करवाने वाले कार्मिक द्वारा अपनी आयु संबंधी दस्तावेज संबंधित चिकित्सालय को उपलब्ध करवाया जावेगा।
5. चिकित्सा परीक्षण संबंधित वार्षिक कार्य मूल्यांकन वर्ष के दौरान कभी भी कराया जा सकेगा।
6. वार्षिक कार्य मूल्यांकन के भाग प्रथम में स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी कॉलम (H) अनुमोदन उपरान्त जोडा गया है जिसको भरकर कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन सक्षम प्रतिवेदक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

यह भी ध्यान में आया है कि तकनीकी कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नहीं भरे जाते हैं जबकि तकनीकी कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भी अनिवार्य रूप से मंत्रालयिक कर्मचारियों की भांति वर्षवार भरे जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में उचित दिशा–निर्देश एवं कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रारूप तैयार करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त दिशा–निर्देश जारी होने तक नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे **तकनीकी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी अनिवार्य रूप से उपरोक्तानुसार कराया जाना सुनिश्चित करे।**

इस सम्बन्ध में वृत कार्मिक अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वृत के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अराजपत्रित मंत्रालयिक/तकनीकी कर्मचारियों की **चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करते हुए निम्न प्रारूप में इस कार्यालय को 15 अप्रेल 2018** तक प्रेषित करेंगेः–

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	जन्मतिथि	कार्यालय का नाम

अतः सभी नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त परिपत्र में जारी दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए अराजपत्रित मंत्रालयिक/तकनीकी कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सम्बन्धी जॉच के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,

13/01/2018

(राकेश शर्मा)

मुख्य कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य/संभागीय मुख्य अभियन्ता( ), जयपुर डिस्कॉम,
2. सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक जेपीडी/प्रशा./स.स.(एसीआर)/एफ. / प्रे. 393 दिनांक 10.10.2017 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि अनुमोदित संशोधित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन फॉर्म छपवाने की कार्यवाही करने का श्रम करे।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता( ), जयपुर डिस्कॉम,
6. उप निदेशक कार्मिक ( ), जयपुर डिस्कॉम,
7. कंपनी सचिव/जनसंपर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
10. निजि सचिव–अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर।
11. निजि सचिव–प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
12. कार्मिक अधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
13. सहायक सचिव ( ), जयपुर डिस्कॉम,
14. सहायक अभियन्ता/सहायक भण्डार नियंत्रक ( ), जयपुर डिस्कॉम,
15. निजि सहायक–निदेशक (तकनीकी/वित्त), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
16. नोटिस बोर्ड ।

नोटः– कृपया उक्त परिपत्र के प्रचार–प्रसार हेतु एक प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कर्मचारियों की सूचनार्थ लगवायें।

13/01/2018

मुख्य कार्मिक अधिकारी

D:\CSrajawat\hindi letters.docx